रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बुधवार, 3 जुलाई, 1974

आषाढ़ 12, 1896 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1919/सत्रह-वि-1—61-74

लखनऊ, 3 जुलाई, 1974 ई०

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित नार्दर्न इण्डिया कैनाल ऐन्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 पर दिनांक 1 जुलाई, 1974 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, 1974 के रूप में सर्वसाधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

नार्दर्न इण्डिया कैनाल ऐन्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1974

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, 1974]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

नार्दर्न इण्डिया कैनाल ऐन्ड ड्रेनेज ऐक्ट, 1873 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा विस्तार

1—(1) यह अधिनियम नार्दर्न इण्डिया कैनाल ऐन्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1974 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

1873 के ऐक्ट संख्या 8 में नई धारा 30-ई ई का बढ़ाया जाना

2—नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐन्ड ड्रेनेज ऐक्ट, 1873, जैसा उसे उत्तर प्रदेश में लागू होने के सम्बन्ध में संशोधित किया गया है, की धारा 30-ई के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

वृहत् सिचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

"30-ई ई—(1) किसी ऐसे क्षेत्र में, जो गण्डक, शारदा सहायक या रामगंगा सिंचाई परियोजना, अथवा राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी अन्य वृहत् परियोजना के कमाण्ड के अन्तर्गत हो सिंचाई प्रभाग का प्रभागीय नहर अधिकारी एक योजना तैयार कर सकेगा जिसमें धारा 30-ए में निर्दिष्ट विशिष्टियां होंगी, और तदुपरान्त वह ऐसी सभी कार्यवाही कर सकेगा जो योजना को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हों और योजना के अनुसार जलसरणी तथा उससे सम्बद्ध सभी संकर्म सन्निर्मित और कार्यान्वित करायेगा, और ऐसी योजना के सम्बन्ध में धारा 30-बी, 30-सी, 30-डी और 30-ई की कोई बात लागू नहीं होगी।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रभागीय नहर अधिकारी,—

(क) योजना को कार्यान्वित करने के लिये अपेक्षित किसी भूमि का अधिकरण करने हेतु संयुक्त प्रान्तीय ग्राम सुधार (भूमि अधिकरण) ऐक्ट, 1948 ई० के अधीन अधिकृत करने वाले अधिकारी से आवेदन कर सकेगा ; या

(ख) योजना को कार्यान्वित करने के लिये अपेक्षित किसी भूमि को भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन अर्जित करने के लिये राज्य सरकार को समावेदन कर सकेगा ; या

(ग) खण्ड (क) तथा (ख) दोनों के अधीन, अर्थात् प्रथमत: भूमि अधिकृत किये जाने की और तत्पश्चात् अर्जित कराने की कार्यवाही कर सकेगा ।

(3) प्रभागीय नहर अधिकारी उपधारा (2) के अधीन अपने कृत्यों को किसी उप-प्रभागीय नहर अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

(4) इस धारा के अधीन तैयार की गयी योजना और ऐसी योजना के अन्तर्गत सन्निर्मित जलसरणी तथा अन्य संकर्म के सम्बन्ध में धारा 30-एफ, 30-जी और 36-ए के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे धारा 30-ए, 30-बी, 30-सी, 30-डी, और 30-ई में निर्दिष्ट किसी योजना और उसके अनुसार सन्निर्मित जलसरणियों तथा अन्य संकर्मों के सम्बन्ध में लागू होते हैं ।

निरसन तथा अपवाद

3—(1) नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐन्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1974 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है । (उत्तर प्रदेश अध्यादेश, संख्या 13, 1974)

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी कोई बात अथवा किया गया कोई कार्य इस अधिनियम के अधीन की गयी बात अथवा किया गया कार्य समझा जायगा, मानों यह अधिनियम सभी सारवान समयों पर प्रवृत्त था ।

No. 1919/XVII-V-I—61-74

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Northern India Canal and Drainage (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 1974 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 16 of 1974) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 1, 1974 :

THE NORTHERN INDIA CANAL AND DRAINAGE (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 1974

(U. P. Act No. 16 of 1974)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Northern India Canal and Drainage Act, 1873

It is hereby enacted in the Twenty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and extent.

1. (1) This Act may be called the Northern India Canal and Drainage (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1974.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

Insertion of new section 30-EE in Act no. 8 of 1973.

2. *After* section 30-E of the Northern India Canal and Drainage Act, 1873, as amended in its application to Uttar Pradesh, the following section shall be *inserted*, namely :—

Special provisions in respect of major irrigation projects.

"30-EE. (1) In any area covered by the Command of the Gandak, the Sharda Sahayak or the Ram Ganga Irrigation Project or any other major project specified in this behalf by the State Government by notification in the *Gazette*, the Divisional Canal Officer of the Irrigation Division may prepare a scheme containing the particulars referred to in section 30-A, and thereupon he may take all such steps as may be necessary for the implementation of the scheme, and cause to be constructed and carried out water-courses and all works connected therewith in accordance with the scheme, and nothing in sections 30-B, 30-C, 30-D and 30-E, shall apply in relation to such scheme.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), the Divisional Canal Officer may—

(*a*) apply to the requisitioning authority under the U. P. Rural Development (Requisitioning of Land) Act, 1948, to requisition any land required for implementation of the scheme; or

(*b*) move the State Government to acquire under the Land Acquisition Act, 1894, any land required for the implementation of the scheme; or

(*c*) take action both under clauses (*a*) and (*b*), namely, to have the land requisitioned in the first instance, and thereafter acquired.

(3) The Divisional Canal Officer may delegate his functions under sub-section (2) to a Sub-Divisional Canal Officer.

(4) The provisions of sections 30-F, 30-G and 36-A, shall apply in relation to a scheme prepared under this section and to water-courses and other works constructed under such scheme as they apply to any scheme referred to in sections 30-A, 30-B, 30-C, 30-D and 30-E and to water-courses and other works constructed in accordance therewith."

U.P. Ordinance no. of 1974.

Repeal and saving.

3. (1) The Northern India Canal and Drainage (Uttar Pradesh Amendment) Ordinance, 1974, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if this Act were in force at all material times.

आज्ञा से,

कैलाश नाथ गोयल,

सचिव।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 147 राजपत्र (हि०)--847--1974--2395+23) (मे०)।